न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 292/2018 दायर दिनाँक 13.08.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र भेराराम, उम्र–42साल, निवासी–नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र लादूराम, जाति–जाट, 2. भागीरथ पुत्र लादूराम, जाति–जाट, 3. राजूदेवी पत्नी मंगाराम, जाति–जाट, 4. सन्तोष पुत्री मंगाराम, जाति–जाट, 5. परमा पुत्री मंगाराम, जाति–जाट, 6. सीमा पुत्री मंगाराम, जाति–जाट, 7. डिम्पल पुत्री मंगाराम, जाति–जाट, प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 07 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता राजूदवी पत्नी मंगाराम, जाति–जाट, 8. रामरकरण पुत्र गंगाराम, जाति–जाट, 9. हीराराम पुत्र गंगाराम, जाति–जाट, समस्त,निवासी–नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. रहमीखाँ पुत्र जमालखाँ, जाति–मुसलमान, 11. भँवरूखाँ पुत्र दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 12. जन्ना बेगम पुत्री दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 13. बिदामी पुत्री दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 14. धापू पुत्री दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 15. चाना दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 16. मुन्नी दुलेखाँ, जाति–मुसलमान, 17. रहीसा दुलेखाँ, जाति–मुसलमान.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 292/2018
दायर दिनाँक 13.08.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
प्रेमाराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

		18. जैतून पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 19. बतुल पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 20. हेमू पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 21. मुन्नी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 22. लोकी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 23. चुकी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 24. सलमू पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 निवासीयान–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री जयश्री डुकिया, वकील, वादी।
2. श्री जमनलाल जाँगिड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 16, 20, 22 व 24 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **26.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद रोही बुड़ोद में खसरा नम्बर 54/269 रकबा 03.10 बीघा व खसरा नम्बर 61 रकबा 05.02 बीघा व खसरा नम्बर 54 रकबा 08.19 बीघा व खसरा नम्बर 61/273 रकबा 01.10 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 23.03 बीघा व खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.01 बीघा अवस्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24 के संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है।

वादग्रस्त भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण निम्नानुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिजकाश्त हैंः–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 292 / 2018
दायर दिनाँक 13.08.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
प्रेमाराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

खसरा नम्बर 98 रकबा 0.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा में से पूर्वी भाग रकबा 21.13 बीघा वादी के बन्ट में हैं। खसरा नम्बर 54 रकबा 08.19 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 61 / 273 रकबा 01.10 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा में से पश्चिमी भाग रकबा 12.00 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के बन्ट में है। खसरा नम्बर 91 रकबा 23.03 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के बन्ट में है। खसरा नम्बर 54 / 269 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 61 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 के बन्ट में है। उक्त बन्टानुसार भूमि में हिससेदारान् काबिजकाश्त हैं।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि उक्त भूमि का उपर्युक्त बन्ट माफिक पक्षकारान् काबिजकाश्त हैं जिसके अनुसार पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं जिस हेतु वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद बुड़ौद में खसरा नम्बर 54 / 269 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसर नम्बर 61 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 के हक में घोषित की जावे व खसरा नम्बर 54 रकबा 08.19 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 61 / 273 रकबा 01.10 बीघा को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के हक में घोषित की जावे खसरा नम्बर 91 रकबा 23.03 बीघा सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के हक में घोषित की जावे व खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा भूमि में से रकबा 21.13 बीघा भूमि पूर्वी भाग को वादी के तथा रकबा 12.00 बीघा भूमि पश्चिमी भाग को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के हक में घोषित की जावे एवं खसरा नम्बर 98 रकबा 0.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि को वादी के हक में घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 16, 20, 22 व 24 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम बुड़ौद सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 152 / 174 खसरा नम्बर 54 / 269, 61 व खेवट संख्या 150 / 137 खसरा नम्बर 54, 61 / 273 व खेवट संख्या 151 / 138 खसरा नम्बर 91, 95 98 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, नजरीनक्शा किश्तवार मौजा बुड़ौद की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश किये हैं।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकुलाय उभयपक्ष ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 16, 20, 22 व 24 की ओर से वाद में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 292 / 2018
दायर दिनाँक 13.08.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
प्रेमाराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

इकबालिया जवाब पेश किया है तथा दावानुसार दावा डिक्री किये जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाद अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बुड़ौद में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी खारिज कर, निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 54 / 269 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसर नम्बर 61 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 54 रकबा 08.19 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 61 / 273 रकबा 01.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 91 रकबा 23.03 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा भूमि में से रकबा 21.13 बीघा भूमि पूर्वी भाग का वादी को तथा रकबा 12.00 बीघा भूमि पश्चिमी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 98 रकबा 0.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त पद क्रम संख्या 01 ता 05 में घोषित खातेदारी के अलावा, वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम, दिगर खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 26.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 292/2018 दायर दिनाँक 13.08.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र भेराराम, उम्र—42साल, निवासी—नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र लादूराम, जाति—जाट, 2. भागीरथ पुत्र लादूराम, जाति—जाट, 3. राजूदेवी पत्नी मंगाराम, जाति—जाट, 4. सन्तोष पुत्री मंगाराम, जाति—जाट, 5. परमा पुत्री मंगाराम, जाति—जाट, 6. सीमा पुत्री मंगाराम, जाति—जाट, 7. डिम्पल पुत्री मंगाराम, जाति—जाट, प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 07 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता राजूदवी पत्नी मंगाराम, जाति—जाट, 8. रामरकरण पुत्र गंगाराम, जाति—जाट, 9. हीराराम पुत्र गंगाराम, जाति—जाट, समस्त,निवासी—नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. रहमीखाँ पुत्र जमालखाँ, जाति—मुसलमान, 11. भँवरूखाँ पुत्र दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 12. जन्ना बेगम पुत्री दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 13. बिदामी पुत्री दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 14. धापू पुत्री दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 15. चाना दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 16. मुन्नी दुलेखाँ, जाति—मुसलमान, 17. रहीसा दुलेखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 292 / 2018
दायर दिनाँक 13.08.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
प्रेमाराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

		जाति–मुसलमान, 18. जैतून पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 19. बतुल पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 20. हेमू पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 21. मुन्नी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 22. लोकी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 23. चुकी पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, 24. सलमू पुत्री दीनखाँ उर्फ दिन्दार, जाति–मुस्लिम, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 निवासीयान–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **26.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जयश्री डुकिया, वकील, वादी व श्री जमनलाल जाँगिड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 16, 20, 22 व 24 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बुड़ौद में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी खारिज कर, निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 54 / 269 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसर नम्बर 61 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 54 रकबा 08.19 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 61 / 273 रकबा 01.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 91 रकबा 23.03 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 95 रकबा 33.13 बीघा भूमि में से रकबा 21.13 बीघा भूमि पूर्वी भाग का वादी को तथा रकबा 12.00 बीघा भूमि पश्चिमी भाग का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. खसरा नम्बर 93 रकबा 0.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त पद क्रम संख्या 01 ता 05 में घोषित खातेदारी के अलावा, वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम, दिगर खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

मौज..........–.......... मुबलिग..........–............. बाबत..............
.....–..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—292—2018 / रीडर / 2018 / 45 दिनाँक 10/1/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र भेराराम, उम्र—42साल, निवासी—नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र लादूराम, जाति—जाट, निवासी—नोजलाँ की ढाणी, हाल,निवासी—गोदरास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner